

7

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर  
वित्त (नियम) विभाग, मुख्यालय

क्रमांक:-एफ-4/वित्त/नियम/उपापन/2015/9338

दिनांक 01.10.2015

शुद्धि-पत्र

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के सम्बन्ध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ-4/वित्त/नियम/2014/1893 दिनांक 18.03.2014 एवं 5383 दिनांक 13.8.2015 के संलग्न परिशिष्ट "अ" के क्रम संख्या 7 से 10 तक के कालम संख्या-7 में अंकित " नियम संख्या 46(6) एवं (7) के अनुसार" के स्थान पर "नियम संख्या 43 (6) एवं (7) अनुसार " पढा एवं सही माना जावे ।

(जी.डी.व्यास)

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:-एफ-4/वित्त/नियम/उपापन/2015/9338

दिनांक 01.10.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक रारापप निगम मु0 जयपुर ।
- 2- कार्यकारी निदेशक ( ) रारापप निगम मु0 जयपुर ।
- 3- महा प्रबन्धक ( ) रारापप निगम मु0 जयपुर ।
- 4- उप महा प्रबन्धक ( ) कार्यकारी प्रबन्धक ( ) रापनि0 मु0 जयपुर
- 5- उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर डाउन लोड करावें ।
- 6- निगम सचिव, राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर
- 7- मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0 -----
- 8- लेखाधिकारी ( ) रारापप निगम मु0 जयपुर ।
- 9- मुख्य प्रबन्धक /प्रबन्धक (वित्त) रारापप निगम -----
- 10- सहायक लेखाधिकारी ( ) रारापप निगम मु0 जयपुर ।
- 11- रक्षित पत्रावली ।

(श्रीराम मीना)

महा प्रबन्धक (वित्त-नियम)

Z.T 1607  
6-10/15